संख्या– 256/78–2–2018–42आई.टी./2017टीसी

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपकमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉकः 24 अप्रैल 2018

विषयः उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली

महोदय,

पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश सॅख्या 1067/78–2–2017– 42आई0टी0/2017 दिनॉक 12 मई 2017 द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running contract) एवं दर अनुबन्ध हेतु ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है तथा दिनॉक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त इसे बाध्यकारी कर दिया गया है। ई–टेण्डरिंग प्रणाली में नियमों और प्रकियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अपितु प्रचलित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रानिक मीडिया उपयोग करते हुए टेण्डरिंग की कार्यवाही की जाती है।

2 वित्त (लेखा) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या ए–1–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुरूप रू 1,00,000/– से अधिक मूल्य के सामान/सेवायें टेण्डर आमंत्रित करके कय किये जाते हैं और उक्त वित्तीय सीमा से अधिक की सभी निविदायें ई–टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा आमंत्रित की जाती हैं।

3 शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए उपरोक्त वित्तीय सीमा रु 1,00,000/– को बढ़ाकर रु 10,00,000/–किये जाने का निर्णय लिया गया है। रू 1,00,000/– से अधिक मूल्य के सामान/सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने की अनिवार्यता वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर 2008

के अन्तर्गत, पूर्व की भाँति यथावत् रहेगी तथापि रू 10.00 लाख तक की निविदायें ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

4 अतएव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश सॅख्या 1067/78-2-2017-42आई0टी0/2017 दिनॉक 12 मई 2017 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश
3 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश
4 निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश
5 निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0
6 निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0
7 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश
8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0
9 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश
10 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश
11 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ
12 राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स,
13 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ
14 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
15 महालेखाकार, लेखा परीक्षा – प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद
16 निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ
17 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव